पटना समाहरणालय, पटना।
(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–1/प्रा०आ०–0–3–30/2014–05/आ०प्र० दिनांक 06.05.2014 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत उप शीर्ष – 02– बाढ़ चक्रवात आदि, लधु शीर्ष – 101 अनुग्राहिक राहत– उप शीर्ष–0002 खादयान की आपूर्ति नगद अनुदान **विपत्र कोड एन० 2245021010002** मद् में प्राप्त अवांटन 10,00000 (दस लाख) रुपये को इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 500/आ0प्र0 दिनांक 27.05.14 द्वारा अंचलाधिकरी, बख्तियारपुर, मनेर, पटना सदर, दानापुर एवं अथमलगोला को उपावंटित किया गया है।

पुनः उक्त शीर्ष में विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 31/आ0प्र0 दिनांक 08.08.2014 द्वारा 6,35,000=00 (छः लाख पैतीस हजार) रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसे निम्नरूपेण उपावंटित करते हुए संबंधित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2014–2015 में निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मांग संख्या–39, विषय शीर्ष–21 03–आहार/पथ्य

क्रमांक	उपावंटित पदाधिकारी का विवरण	पूर्व उपावंटन	वर्त्तमान उपावंटन	योग
1	2	3	4	5
01.	अंचल अधिकारी, बख्तियारपुर	2,00000.00	0.00	200000.00
02.	अंचल अधिकारी, मनेर	128000.00	00.00	128000.00
03.	अंचल अधिकारी,पटना सदर	500000.00	288000.00	788000.00
04.	अंचल अधिकारी, दानापुर	128500.00	0.00	128500.00
05.	अंचल अधिकारी, अथमलगोला	43500.00	0.00	43500.00
06	अंचल अधिकारी, पालीगंज	0.00	250000.00	250000.00
07	अंचल अधिकारी, धनरूआ	0.00	50000.00	50000.00
08.	अंचल अधिकारी, सम्पतचक	0.00	47000.00	47000.00
	कुल उपावंटित राशि	**1000000.00**	**635000.00**	**1635000.00**
	जिला में आवंटन के रूप में सुरक्षित राशि			*शुन्य*
	कुल योग :–	**1000000.00**	**635000.00**	**1635000.00**

1. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत उप मुख्यशीर्ष – 02 बाढ़ चक्रवात आदि के लघु शीर्ष 101, अनुग्राहिक राहत, उप शीर्ष – 0002 खाद्यान्न की आपूर्ति मद में उपबन्धित राशि से विकलनीय होगा।
2. उपावांटित्त राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 में अग्निकांड से प्रभावित परिवारों को मुक्त खाद्यान्न क्रय हेतु की जाए।
3. उपावंटित राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय–सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ इस कार्यालय को शीघ्र भेज दी जाय।
4. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष–लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड का स्पष्ट रूप से उल्लेख की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उप शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण

वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। कृपया एक विपत्र पर एक ही उप शीर्ष की राशि की निकासी की जाय ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण में कठिनाई नहीं हो।

5. यह उपावंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561[बी० (2)] दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय।

6. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2015 के पूर्व निश्चित रूप से कर देंगे। अन्यथा, इसके लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

ह०/-
जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक 1055 /आ०प्र०, दिनांक 29/9/14

प्रतिलिपि :— सभी संबंधित अंचल अधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— सभी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०,पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।

प्रतिलिपि :— जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— कोषागार पदाधिकारी, पटना/सभी संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

ह०/- 29/9/14
जिला पदाधिकारी,
पटना।